प्रेस नोट दिनॉक 05.07.2021 जनपद संतकबीरनगर

आज दिनांक 05.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस (315 बोर) के साथ अंतर्जनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 01 घटना का सफल अनावरण

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अंशुमान मिश्र** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद व जनपद के आस पास के जनपद में लगातार वाहन चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष महुली **श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह** द्वारा बनायी गयी टीम व **प्रभारी स्वॉट श्री दीपक कुमार दुबे** द्वारा संयुक्त वाहन चेकिंग के दौरान राजकुमार अग्रहरी पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी मझौवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 01 अदद अवैध तमंचा (315बोर) 01 अदद जिंदा कारतूस (315 बोर) व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त की निशानदेही पर 03 अदद मोटर साइकिलों को बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना महुली पर पर मु0अ0सं0 198/ 2021 धारा 41 / 411 / 413 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 तथा अवैध शस्त्र के संबन्ध थाना महुली पर मु0अ0सं0 199 / 2021 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना गीडा जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172 / 2021 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1 - राजकुमार अग्रहरी पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी मझौवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण –

1- हीरो CD Deluxe चेचिस नं0 MBLHAR856J9B00085 व इंजन नं0 HA11EBJA23354 रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी UP 53 CU 0148 अंकित है।

2- हीरो Splender Pro बरंग काला व नीला जिस पर रजिस्ट्रेशन नं0 नही है चेचिस नं0 MBLHA10ABBHJ07894 व इंजन नं0 HA10EGBHJ14046

3- हीरो Splender Pro बरंग काला व लाल, सफेद पट्टी जिस पर रजिशट्रेशन नहीं है चेचिस नं MBLHAR 08XHHK49753 व इंजन नं0 06B15M39986 अंकित है.

4- हीरों HF-Delux बरंग नीले व सफेद रंग की पट्टी चेचिस न0 MBLHA11ATF9L10857 व जिस पर इंजन HA10AGHHK62321 अंकित है।

गिरफ्तार का अभियुक्त राजकुमार अग्रहरी का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 678/ 2018 धारा 379 /411 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

2- मु0अ0सं0 515 /2018 धारा 41 /411 /419 /420 /467/ 468 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

3- मु0अ0सं0 302 /2018 धारा 354 / 323 /504 / 506 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पर साहब मैं अपने भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिये जनपद व सीमावर्ती जनपदों के विभिन्न स्थानों से मौका देखकर वाहनों को चुराकर एकत्र करता हूं व असली नंबर प्टेल को निकालकर फेंक देता हूं एवं सही ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देता हूं। यह मोटर साइकिल जो मेरे पास है चोरी की है जिसका कोई कागज नहीं है व फर्जी नंबर प्लेट लगा है इसलिए मैं आपलोगों को देखकर भागने लगा। इस गाड़ी को मैं गोरखपुर जिले के बाघागाड़ा के पास से चोरी किया था। इस मोटर साइकिल के अतिरिक्त तीन और चोरी की मौटर साइकिल बेचने के उद्देश्य से अब्दुल गनी के ईंट भट्ठे के पास स्थित सूनसान टीन सेड के बने कमरे में छुपाकर रखाह हूँ। अभियुक्त की निशानदेही पर अब्दुल गनी के भट्ठे के पास से स्थित टीन सेड के कमरे से 03 अदद मोटर साइकिलों को बरामद किया गया है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

1- श्री दीपक दूबे (प्रभारी स्वाट टीम), हे0का0 विनोद यादव,(एसओजी), हे0का0 इन्द्रजीत यादव,(एसओजी), अनूप कुमार राय(स्वॉट), का0 मुनीर अहमद (स्वाट), कां0 रमेश यादव(एसओजी), का0 अभिषेक सिंह(स्वाट)।

2- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव (व0उ0नि0) थाना महुली, उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव (प्रभारी चौकी हरिहरपुर), कां0 सदीप यादव, कां0 श्याम बहादुर।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत गोविन्दगंज से इवेन्ट संख्या 20348 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 07 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा कॉलर को आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट / विवाद को शान्त करा कर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 मनोज कुमार चौधरी, हो0चा0 राजेश कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 91 वाहनो से 78500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 91 वाहनो से 78500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।